आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Department of Social Justice and Empowerment (Backward Classes Division)

Dr. Ambedkar Scheme of Interest Subsidy on Educational Loan for Overseas Studies for OBCs and EBCs

यह केंद्र की योजना है जिसमें विदेश में मास्टर्स, एम.फिल या पीएच.डी. पढ़ने के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लेने वाले OBC और EBC विद्यार्थियों का मोरेटोरियम अवधि का ब्याज सरकार भरती है।

क्या मिल सकता है

आपके शिक्षा ऋण का ब्याज मोरेटोरियम अवधि में सरकार वहन करती है, यानी कोर्स की अवधि और उसके बाद एक साल, या नौकरी मिलने के छह महीने बाद तक, जो पहले हो। मोरेटोरियम के बाद ब्याज और मूलधन आप अपने ऋण की शर्तों के अनुसार चुकाते हैं। यह लाभ केवल एक बार मिलता है, मास्टर्स या पीएच.डी. स्तर के लिए।

किसके लिए है

अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्हें विदेश में मास्टर्स, एम.फिल या पीएच.डी. में प्रवेश मिला है और जिनके पास शिक्षा ऋण है।

मुख्य शर्तें

- आपको विदेश के मान्यता प्राप्त मास्टर्स, एम.फिल या पीएच.डी. कोर्स में प्रवेश मिला हो और भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण लिया हो।
- OBC आवेदक केंद्रीय OBC सूची में हों और क्रीमी लेयर की सीमा के भीतर हों। EBC का मतलब SC, ST और OBC से बाहर की जाति है, जिसकी आय मंत्रालय की तय सीमा के भीतर हो।
- सब्सिडी केवल एक बार मिलती है, और बीच में कोर्स छोड़ने या निकाले गए विद्यार्थियों को नहीं मिलती।
- वार्षिक निधि का कम से कम आधा हिस्सा छात्राओं के लिए रखा जाता है, और निधि बजट के भीतर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती है।

दस्तावेज़

- निर्धारित प्रारूप में OBC जाति प्रमाण पत्र, जो बैंक लेता है
- आय का प्रमाण, जैसे ITR, फॉर्म 16, ऑडिट किए खाते या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का आय प्रमाण पत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialjustice.gov.in/schemes/11
आधिकारिक PDF: https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/Guidelines%20ISEL%20Scheme%20(wef%2001%20Oct%202017).pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/ambedkar-interest-subsidy-overseas-education-obc-ebc/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।